

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 29 / 11-सी-FP/UP/Trans/151920/2022, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 01, 2025
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज के अंतर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के०वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 819 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/एफ०सी०/४८, दिनांक 30.05.2024, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-5066/मी०क्षे०/३३, दिनांक 17.06.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-5066/मी०क्षे०/३३, दिनांक 17.06.2025 द्वारा इस कार्यालय को अपलोड कर प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भयदीय,

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 29 / 11-सी-FP/UP/Trans/151920/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत प्रकरण के अद्यतन स्थिति को वन विभाग के वेबसाइट पर बनाये गये पोर्टल पर Proposal का विवरण अपडेट करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 220 के०वी० उपकेन्द्र, रावर्टसगंज-सोनभद्र।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:- 5066 /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक जून, 17 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के मयोरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला(कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित 16.8912 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:-

- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/04/109/2023/एफ0सी0/48, दिनांक-30.05.2024
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-3463/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022, दिनांक-27.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में पायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में कमियों का निराकरण करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-4417/रेनुकूट/15-276, दिनांक-28.05.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या एतद्सह संलग्नकर सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र - (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 11/117
सेवा मे,

/ रेनुकूट / 15-276

दिनांक, रेनुकूट, मई, 24,

2025

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद- सोनभद्र मे रेनुकूट वन प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत रणटोला (कटौधी) से किरविल तक प्रस्तावित 132 के० वी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण मे प्रभावित 16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध मे । (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/151920/2022)

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/एफ०सी०/४८ दिनांक- 30.05.2024
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3559/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-03.06.2024
3-इस कार्यालय का पत्रांक- 3923/रेनुकूट/15-276 दिनांक- 25.04.2025
4-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- 4580/मी०क्षे०/33 दिनांक-13.05.2025
5-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 3463/11-सी- FP/UP/TRANS/151920/2022 दिनांक-27.05.2025

महोदय,

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 30.05.2024 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन 16.8912 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 819 वृक्षो / पौधो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश मे अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण के अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड , उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० 220 के०वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-527/वि०पा०खण्ड०(रा०) दिनांक- 23.04.2025 द्वारा प्रभाग मे उपलब्ध कराये जाने पर प्रभाग की अनुपालन आख्या प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक- 25.04.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा मे प्रेषित किया गया । मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक- 13.05.2025 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ की सेवा मे प्रेषित किया गया । उक्त अनुपालन आख्या का परीक्षणोपरान्त

व्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 27.05.2025 द्वारा कु० बेन्दुओ पर आपत्तियों इंगित करते हुए उराके निराकरण कर पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक- 27.05.2025 द्वारा इंगित कमिरो का निराकरण कराने के उपरान्त प्रभाग की संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न विवरण के अनुसार संस्तुति सहित भारत सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलदायु परिचर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या- 8बी/यू०पी०/०४/१०९/२०२३/एफ०सी०/४८ दिनांक- 30.05.2024 में अंकित शर्तों का विवरण	संशोधित अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनव्यवस्था प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 34.00 ha. Degraded Forest land in Cheri Forest Block. Renukoot Forest Division, Myourpur Range. District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. .	इस बिन्दु के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा किया गया है उसे विभाग द्वारा कैम्पा से नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त स्थानीय मिश्रित प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा ।
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the projet authority. The CA will be maintained for 10 years . The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के क्रम में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रभाग के म्योरपुर रेंज अन्तर्गत चेरी वन ब्लॉक में चयनित 34.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य करने हेतु तैयार किये गये व्यय अनुमान पत्र के अनुसार <u>रु० 83,49,800.00 (मु० तिरासी लाख उन्चास हजार आठ सौ मात्र)</u> परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।

	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 16.8912 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc (pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and 5&3/2011-FC(Vol-I) dated orders dated 06.01.2022	इस बिन्दु के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि के लिए निर्धारित एनपीवी की धनराशि ₹0 1357110 प्रति हे० की दर से परियोजना में प्रभावित 16.8912 हे० आरक्षित वन भूमि का वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित धनराशि 16.8912 हे० X 1357110 प्रति हे० = ₹0 22923216.43 या 2,29,23,217 (गु० दो करोड़ उन्तीस लाख तेईस हजार दो सौ सत्रह मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to the effect.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
6	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before issuance of Final Approval . The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concened District Collector.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के स्तर से जारी निर्धारित प्रारूप में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
7	Solar pumps shall be installed at the CA sites for irrigation purposes to ensure better survival of plant.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सोलर पम्प की स्थापना हेतु व्यय अनुमान पत्र के अनुसार ₹0 29,53,620/- (गु० उन्तीस लाख तिरपन हजार छः सौ बीस मात्र) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है ।
8	The entire area preposed for CA shall be fenced by the State	इस बिन्दु के अनुपालन में तैयार किये गये व्यय अनुमान पत्र के

	Forest Department at the cost of User agency	अनुमानित ₹ 20,79,633/- (मुद्रा बीस लाख उन्गारसी हजार छः सौ तैतिस माय) परिसर परियोजना में अनुमति ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है ।
9	Width Right of Way for the Transmission Line shall be limited to 27 meter	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
10	The User Agency should fence the base of the tower by Chain Link Fencing to prevent the electrocution of Elephant/Wild Animal's in forest area at their own cost. The concerned DFO	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
11	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 132 KV D/C line will be 3 meter only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed the natural regeneration will be allowed to come up.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
12	The User agency is consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the said scheme to the State Forest Department .	इस बिन्दु के क्रम में प्रभावित वन भूमि 16.8912 हे० पर ड्रान्तिनिशन लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उसके नीचे दौने प्रजाति का वनीकरण कार्य करने हेतु तैयार किये गये व्यय अनुमान पत्र के अनुसार <u>₹ 46,56,300.00 (मुद्रा छियालिस लाख छप्पन हजार तीन सौ मात्र)</u> परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa में दिनांक- 28.11.2024 को जमा कराते हुए चालान की प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न है ।
13	The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
14	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide Letter 7-25/2012-FC Dated 05.05.2014 & 19.11.2014	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
15	User Agency shall restrict the felling of trees to 819	इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित 819 पौधों/वृक्षों का

	trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Foret Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	गणना/खपान किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक ,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्थायी आदेश संख्या- 1901 दिनांक-20.11.2023 द्वारा निर्धारित सीलिंग दरों के आधार पर रु0 6527 का बैंक डाफ्ट संख्या- 354463 दिनांक-14.11.2024 प्रभाग में जमा किया गया तथा 819 पीछो/वृक्षों के पातन एवं बुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित वनरीति, कार्यालय प्रबंधक निदेशक, अरण्य विकास खण्ड 21/475 इन्दिरानगर लखनऊ के पत्रांक- 2005 दिनांक- 18.06.2024 के अनुसार एवं प्रभागीय सीलिंग प्रबंधक, उमरगांव वन निगम रेनूकट के पत्र संख्या- 540 दिनांक- 25.06.2024 के आधार पर रु0 10259000. 00 (गु0 एक करोड़ दो लाख उनसठ हजार मात्र) निम्न खाता संख्या में दिनांक- 16.11.2024 को जमा किया गया है :- <table><tr><td>खाताधारक का नाम</td><td>बैंक का नाम व पता</td><td>खाता संख्या</td><td>आई0एफ0एस0सी कोड नम्बर</td></tr><tr><td>M.D.U.P Forest Corporation</td><td>बैंक आफ बड़ौदा, मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर, लखनऊ</td><td>29690200015824</td><td>BARBOINDIRA</td></tr></table>	खाताधारक का नाम	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी कोड नम्बर	M.D.U.P Forest Corporation	बैंक आफ बड़ौदा, मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर, लखनऊ	29690200015824	BARBOINDIRA
खाताधारक का नाम	बैंक का नाम व पता	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी कोड नम्बर							
M.D.U.P Forest Corporation	बैंक आफ बड़ौदा, मुंशीपुलिया, इन्दिरानगर, लखनऊ	29690200015824	BARBOINDIRA							
16	NO violation of Forest (Conservation) Act , certificate from concerned DFO shall be provided.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया गया है । इस संबंध में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है ।								
17	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable .	इस बिन्दु के क्रम में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।								
18	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government .	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।								
19	No labour camp shall be established on the forest land	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।								
20	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।								
21	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost .as per the	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।								

	directions of the concerned Divisional Forest officer .	
22	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
23	The period of diversion under this approval shall be co - terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सह टर्मिनस होगी जैसा भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों में उल्लिखित किया जायेगा ।
24	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
25	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
26	The KML file of area propose for diversion and area proposed for plantation shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित क्षेत्र, की के0एम0एल0 , सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र , को काम शुरू होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।
27	The Violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC Guideline rules and Guidelines as applicable specifically MoEFCC Guidelines dated 15.05.2023 , authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO) Deputy Conservator of Forest (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Van(Sanrakshshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 is committed or violation of	इस बिन्दु के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि प्रकण में उक्त समस्त शर्तों में से किसी भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।

	the provisions of the said Act has been made. to file complaints against such person/authority/organization , prima-facie found guilty of offence under the Act or the violaion of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter .	
28	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate Change may stipulate form time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के क्रम मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है ।
29	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से संबंधित जमा होने योग्य समस्त धनराशि (एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि व Enrichment वनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa , में जमा करते हुए चालान की प्रति उलपब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है ।
30	The compliance report report on e-portal(https://purivesh.nic.in)	इस बिन्दु के क्रम में परियोजना से संबंधित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार प्रेषित है । इस अनुपालन आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने की कार्यवाही करायी जा रही है ।
	CA amount as per proposal	(Rs.8349800+Rs.4656300)= Rs. 1,30,06,100
	CA amount deposited	Rs. 1,30,06,100
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	NPV amount as per proposal	Rs. 2,29,23,217
	NPV amount deposited	Rs. 2,29,23,217
	Difference in amount	0
	Reason for difference	Not Applicable
	Any other amount deposited (Complete details be provided)	(Rs. 2953620 Solar Pump +Rs. 2079633 CA Land Fencing = Rs. 50,33,253
	CAMPA confirmation	Enclosed Online payment history made by User Agency under CAMPA & Challan copy signed by Union Bank of india Robertsganj Branch

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा० भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ ।
- 2-मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3-अधिशाली अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 220 के०वी० उपकेन्द्र रावर्टसगंज-सोनभद्र को उनके कार्यालय के पत्र संख्या-527/वि०पा०खण्ड०(रा०) दिनांक- 23.04.2025 के क्रम में ।

(डा० भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट